The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. SPEAKER : There are some amendments to clause 3. Are they moved ?

SHRI SRINIBAS MISRA : In view of the assurance given by the Deputy Minister, I am not moving my amendment.

SHRI K. LAKKAPPA : I am not moving my amendment.

MR. SPEAKER : The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. YUNUS SALEEM : Sir, I move :

"That the Bill be passed"

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed"

The motion was adopted

17.32 Hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

HOMES FOR FREEDOM FIGHTERS IN WEST BENGAL

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : सदन में श्री समर गुहा ने जो प्रश्न संख्या 271 किया था और उसका जो उत्तर आया था उससे निकले सवालों को लेकर मैंने यह चर्चा उठाई है । श्री समर गुहा ने सवाल किया था कि हमारे राजनीतिक कैदी जो बंगाल के हैं और हिन्दुस्तान के दूसरे भागों के हैं और जिन्होंने अंदमान में सालों बिताये हैं, यातनायें भोगी हैं, उन लोगों की देखभाल के लिए, उनके पुनर्वास के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है । हमारे मुल्क में ही नहीं हर सभ्य मुल्क में जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानी होते हैं, उनकी देश इज्जत करता है और केवल इज्जत ही करता है इतनी ही बात नहीं बल्कि स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लोगों की आंखों के सामने लगाये रखने का प्रयास करता है, उनको लेकर कवितायें लिखता है, इतिहास लिखता है, साहित्य में उनको प्रकट किया जाता है । उनके म्यूजियम बनाये जाते हैं जिन को देख कर आम जनता को यह देखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से हमारे वीर सेनानी लड़े और कैसी उन्होंने यातनायें भोगीं, कैसे उन्होंने देश की स्वाधीनता में योगदान किया । मुझे याद है पूर्वी यूरोप के कुछ मुल्कों में मैं कुछ साल पहले गई थी । वहां छोटा सा म्यूजियम मैं ने देखा था । उसको बहुत ही सुन्दर तरीके से बनाया गया था, सारी चीज उस में दिखाई गई थी कि कैसे वे लोग लड़े, कौन से शस्त्र उनके पास थे, कौन-कौन उन के वीर सेनानी थे ताकि लोग उनको याद रख सकें और लोगों के मन में अपने देश के लिए, स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के लिए एक गौरव की अनुभूति हो ।

लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में उतना काम इन वीर सेनानियों के लिए नहीं किया गया है जितना किया जाना चाहिये था । कुछ काम तो जरूर हुआ है इसको मैं मानती हूं । आज से पच्चीस तीस साल पहले का इतिहास अगर नवयुवकों और नवयुवतियों से पूछा जाये तो वे उसको नहीं बता सकेंगे । इस में कमी रही है । जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना सारा जीवन न्यौछावर किया और तरह-तरह की तकलीफें भोगीं, कम-से-कम आप उनके भरण पोषण का तो प्रबन्ध कर दें । आज भी ऐसे बहुत से सेनानी हैं जिन्हें दो टाइम की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है । इसी चीज को ले कर समर गुहा साहब ने यह सवाल पूछा था । दूसरा सवाल भी उन्होंने किया था । दूसरे मुल्कों में कभी कोई सभा होती है या सम्मेलन होता है या कोई राष्ट्रीय महत्व का दिन होता है तो उस सभा सम्मेलन में इन सेनानियों को सम्मान की जगह दी जाती है । पब्लिकली उन को सम्मान दिया जाता है । यह सब

तो हम करते ही नहीं । लेकिन कम-से-कम हम यह तो देखें कि जो ये हमारे सेनानी हैं उनका ठीक तरह से भरण पोषण हो, उनकी ठीक देख-रेख की व्यवस्था हो ।

जिन सेनानियों ने सालों अंदमान में बिताये है उनको आज कोई देखता ही नहीं है । स्टेट्स में बहुत सी जगह यह प्रबन्ध है कि जो राजनीतिक सफराजं हैं उनको कुछ न कुछ पेंशन दी जाती है । लेकिन जो पेंशन उनको दी जाती है, मुझे मालूम है कि वह भी बहुत नाकाफी है । किसी को बीस रुपये, किसी को पच्चीम रुपये और किसी को तीस रुपये दिये जाते हैं । आजकल के जमाने में इतमी कम पेंशन कुछ काम में नहीं आती है । फिर आप यह भी देखें कि अक्सर पेंशन उनको दी जाती है जो बाद में स्वाधीनता संग्राम में आए थे, जो हमारा अहिंसक संग्राम था, उस में जिन्होंने हिस्सा लिया था उन्हीं को ज्यादातर यह मिल रही है । जो क्रान्तिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरी थे उनको याद भी नहीं किया जाता ह । कारण यह है कि वह चैप्टर असिंहसक आन्दोलन शुरू होने के बाद खत्म सा हो गया था और दूसरा नया चैप्टर शुरू हो गया था । इस वास्ते बाद वाले आन्दोलनों में जिन्होंने भाग लिया उन्हीं लोगों को ज्यादा याद किया जाता है । लेकिन आप देखें कि इन लोगों की जो कुर्बानियां थीं वे बाद के सेनानियों की कुर्बानियों से कहीं अधिक थीं । अंदमान में जो सेनानी थे हमारे उनका अगर आप हिसाब लगायें, उनको अगर आप कटेग्राइज करें तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में तो ऐसे थे जिन्होंने दस से पन्द्रह साल वहां जेल में बिताये, एक हजार के करीब ऐसे थे जोकि पन्द्रह से बीस साल तक जेल में रहे, और कई सौ ऐसे थे जिन्होंने बीस से ऊपर और पच्चीस साल तक बड़ी-बड़ी जेलें काटीं । वहां से छूट कर आने के बाद यह नहीं कि वे चुप बैठ गए । जब कभी भी यहां कोई आन्दोलन हुआ, कोई किसी प्रकार की एमरजेंसी डिक्लेयर हुई या कोई लड़ाई छिड़ गई तो फौरन उनको डिटेंशन कैम्प्स में बन्द कर दिया जाता था जो हमेशा तैयार रहते थे । उन में उनको भेज दिया जाता था । आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 1914 और 1918 के अन्दर बहुत से लोग डिटेंशन कैम्प्स में भेजे गए, फिर 1923-27 में बहुत से भेजे गए 1938 में भेजे गए, 1940 में भेजे गए और 1942-1946 में भेजे गए । डिटेंशन कैम्प्स की जो हालत होती थी उसको आप जानते ही हैं । हिजली, देवली, बक्सर फोर्ट के डिटशन कैम्प्स की जो हालत होती थी उस को आप जानते ही हैं । किस तरह से उन में लोगों को रखा जाता था वह बात आप से छिपी नहीं हुई है । मैं कहूंगी कि जो तरह-तरह के अत्याचार उन पर होते रहे उन अत्याचारों की गाथायें भी हर एक भारतीय को जाननी चाहियें और कैसी-कैसी तकलीफें उन्होंने उठाई इसको भी हर भारतीय को जानना चाहिये ।

स्वाधीन होने के बाद उनके काले दिन कट गए हों, ऐसी बात नहीं है । स्वाधीनता के बाद भी उन्होंने देखा कि वे समाज में अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाते हैं । उनके सामने अपने आपको रिहैबिलिटेट करने की समस्या खड़ी हो गई । बहुत से लोगों को काम भी नहीं मिल पा रहा था और वे भूखों मर रहे थे । इधर उधर वे घूम रहे थे । कोई उनकी इज्जत नहीं करता था, कोई उनको पूछता तक नहीं था । इन में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी शादी नहीं की । संघर्ष करते-करते वे बूढ़े हो गए । अब बुढ़ापे में उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई पानी देने वाला नहीं है । एक केस अभी समर गुहा साहब बता रहे थे । उनका नाम है हेम चन्द्र घोष । वह एक रेवोल्यूशनरी रहे हैं । 85 साल की उनकी उम्र है । उन्होंने शादी नहीं की । उनको स्टेट की तरफ से या सैंटर की तरफ से कोई पैसा

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

नहीं मिल रहा है ? उनके भतीजे, भांजे उनको थोड़ा-थोड़ा पैसा देते हैं । वह एक छोटी सी कोठरी में रहते हैं । रोटी खुद पका कर खाते हैं । एक ही समय खाते हैं । दूसरे समय खाने का उनके पास कोई इंतजाम नहीं है । कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे में शादियां की हैं । आज उनके अपने परिवार हैं । लेकिन परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए उनके पास साधन नहीं है । उनको कोई पूछता नहीं है । किस तरह से वे अपने परिवार की व्यवस्था करें, कैसे उनको खिलायें, यह उनके सामने समस्या है । कुछ ऐसे है जो बीमार है, कुछ कर नहीं सकते है । थोड़ा बहुत रोजगार कर लिया करते थे लेकिन आज वे उस काम को भी करने के काबिल नहीं रहे है। अब चाहे आप उनको अस्पताल में रखें या उनके इलाज की व्यवस्था करें, कुछ तो आप करें । उनके परिवार की भी देख-भाल होनी चाहिये । कुछ न कुछ तो उनके लिए आपको करना चाहिये । उनको पानी देने वाला कोई नहीं हैं ।

इन लोगों ने कुछ दिन पहले एक कान्फ्रेंस की थी । उसके बाद आठ अप्रैल को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहिबा के पास एक मैमोरेंडम भेजा था जिसमें अपना दुख दर्द उन्होंने गाया है । उन्होंने मदद की मांग की है । पचास से ऊपर अंदमान के एक्स-प्रिजनर्स के उस पर दस्तखत है । इन लोगों की कुल कितनी संख्या है यह भी उनको मालूम नहीं है । ये लोग हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में बिखरे पड़े है । केवल बंगाल में ही नहीं है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश के लोग भी है, बिहार के लोग भी है । इनकी संख्या काफी है । किसी ने अभी तक सैंसंस नहीं लिया है कि कितने वीर सेनानी इस तरह से बिखरे पड़े है और कहां-कहां है और किस हालत में है । इन लोगों ने कुछ फिगर्ज जरूर एकत्र करने की कोशिश की है । इन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिमांडज भी की है कि हमें फलां-फलां मदद आप दें । मैं समझती हूं कि एक कृतज्ञ राष्ट्र को चाहिये कि वह अपने इन वीर सेनानियों को इज्जत दे उनकी जो तकलीफें है उनको हम दूर करें । अगर हम उनको दूर नहीं कर सकते है तो मैं समझती हूं कि एक स्वाधीन राष्ट्र के लिए यह एक शर्म की बात है, एक लानत है । उन्होंने जो डिमांड की है उस में से एक यह है कि जहां अण्डमान के हम लोग थे वहां एक मैमोरियल हाल बने, एक छोटा सा म्यूजियम बने जहां यह दिखाया जाए कि किस तरह से हम वहां रहे, कैसे स्वाधीनता संग्राम हमने किया ताकि लोगों को पता चले कि हमारा इतिहास क्या रहा है । उन्होंने यह मांग भी की है कि अंदमान का नाम अंदमान न रहे और इसका नाम स्वराज्य द्वीप कर दिया जाए । अगर छोटे छोटे लीडरों के नाम पर सड़कों तक के नाम बदले जा सकते है तो यह द्वीप जहां इतने ज्यादा लोग थे और जहां सालों हमारे वीर सेनानियों ने कष्ट के दिन बिताये है उसका नाम नहीं बदला जा सकता है तो किस का बदला जा सकता है । इस वास्ते मैं समझती हूं कि अगर इस द्वीप का नाम बदल दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी ।

उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही मांगें नहीं कीं, बल्कि उन्होंने आई० एन० ए० के लोगों के बारे में भी कुछ मांगें की है । उन्होंने सरकार के सामने यह मांग रखी है कि सुभाषचन्द्र बोस के लिए एक सूटेबल मेमोरियल बनाया जाये । उन्होंने यह भी मांग की है कि आई० एन० ए० के लोगों में जो शहीद हो गये, उन के परिवार, बच्चों, माता-पिता और पत्नी आदि की सहायता और देख-भाल के लिए सरकार की तरफ से कुछ-न-कुछ इन्तजाम हो । उनकी यह भी मांग है कि उन में से जो लोग वहां से छूट कर यहां आ कर मरे, उन को भी शहीदों की गिनती में गिनना चाहिए और उन के परिवारों को भी उसी तरह से मदद देनी चाहिए ।

समर बाबू ने जब यहां पर क्रान्तिकारियों के लिए एक होम बनाने के बारे में प्रश्न पूछा, तो होम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि सवा लाख रुपया खर्च कर के एक होम बनाया जा रहा है, जिसमें साठ आदमियों के रहने का प्रबन्ध होगा । सवाल यह है कि उन लोगों की मेनटेनेन्स और देख-भाल पर जो माहवार खर्च होगा, उसकी व्यवस्था कौन करेगा । इसके अलावा वह मकान कब तक बनेगा ? कही ऐसा न हों कि वह मकान बनते-बनते इतनी देर हो जाये कि जो बचे खुचे लोग है, वे भी मर जायें ।

उन लोगों की एक मांग पेन्शन के बारे में भी है । आज पेन्शन स्टेट-वाइज, राज्य सरकारों की मरजी से, दी जाती है । मैं खुद जानती हूं कि पेन्शन देने में डिसक्रिमिनेशन होता है । कोई ज्यादा ले जाता है और किसी को नहीं मिलती है । उन लोगों की मांग है कि पेन्शन देने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले और उसमें कोई डिसक्रिमिनेशन न हो ।

उन लोगों में से कुछ गवर्नमेंट सर्वेन्ट बन गए और अब वे रिटायर होने वाले हैं । चूंकि वे लोग आज़ादी की लड़ाई में लगे रहे, इसलिये वे पूरी सर्विस नहीं कर पाए । इसका नतीजा यह है कि या तो वे पेन्शन के हकदार नहीं हैं और या उनको पूरी पेन्शन नहीं मिल सकेगी । इस सूरत में उनका क्या होगा ? इस बारे में यह मांग की गई है कि या तो उन लोगों को सर्विस में एक्सटेंशन देने का इन्तजाम किया जाये और या उनके परिवार के लोगों को उचित नौकरी दिलाने में मदद दी जाये ।

बंगाल में जो ऐसे रेवोल्यूशनरीज हैं, उनमें से बहुत से पूर्वी बंगाल के हैं । पूर्वी बंगाल रेवोल्यूशनरीज का घर माना जाता था । वे लोग पार्टीशन के बाद यहां आ गये । पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए लोगों के रीहैबिलिटेशन और कमपेन्सेशन का तो प्रबन्ध हुआ, लेकिन बदकिस्मती से पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले रेफ्यूजीज में से किसी को कमपेन्सेशन नहीं दिया गया हालांकि उनके रीहैबिलिटेशन का प्रबन्ध जरूर हुआ । हमारे जिन रेवोल्युशनरी भाइयों के पास पूर्वी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत जमीन थी, जिससे वे कुछ खा-पी सकते थे, वह भी उनके हाथ से निकल गई । अब उनके पास खड़े होने के लिए कोई स्थान नहीं रहा । हम प्लीड करना चाहते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिये ।

जहां तक आई० एन० ए० का सम्बन्ध है, यह बड़ी खुशी की बात है कि इतने सालों की जद्दो-जहद के बाद सरकार ने एक्स-वार प्रिजनर्स को कुछ देने का फैसला किया है । हैरानी की बात यह है कि सरकार ने यह काम शुरू में ही क्यों नहीं किया । ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भले ही उन लोगों पर कोई बन्दिश लगा रखी हो, उनके लिए भले ही वे गद्दार रहे हो, लेकिन हमारे लिए तो वे हीरो थे और इसलिये हमें हार ले कर उनका स्वागत करना चाहिए था । लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, खैर, देर से ही सही, अब सरकार ने उन लोगों के लिए कुछ करने का फैसला किया है ।

लेकिन आई० एन० ए० में बहुत से सिविलियन पर्सोनेल भी थे । उनको कोई पूछने वाला नहीं है । किसी को मालूम नहीं कि उन का क्या हुआ । उनमें से बहुत से लोग परेशानी की हालत में मर गये । मैं चाहती हूं कि उन लोगों की भी एक फेहरिस्त तैयार की जाये और यथा-सम्भव उनकी भी सहायता की जाये ।

इस राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के वीर सेनानियों का कृतज्ञ होना चाहिए । हम लोग, जो बाद में स्वतन्त्रता संग्राम में आये, उनका मुकाबला नहीं कर सकते । हम लोग तो उनके मुकाबले में काफी आराम में थे । उन लोगों ने विदेशी सरकार के विरुद्ध संघर्ष किया, तरह-तरह के कष्ट

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

और मुसीबतें बर्दाश्त कीं, कई प्रकार के त्याग और कुर्बानियों कीं, फिजीकल टार्चर बर्दाश्त किया, उन के परिवार वालों को भी अनगिनत कष्ट और असुविधायें सहनी पड़ीं। आज हमें उन लोगों को याद रखना चाहिये। चाहे मेरी आवाज कितनी छोटी हो, मैं उन के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा अर्पित करती हूं। मैं अपने राष्ट्र से कहना चाहती हूं कि उन लोगों के लिए, या उन के परिवारों के लिए, हम जो कुछ भी करें, वह उन की सेवाओं की तुलना में यथेष्ठ नहीं हो सकता है। उन लोगों की जो-जो मांगें हैं, उन को सौ फीसदी पूरा करने का प्रयास करना चाहिये।

ARREST OF MEMBER
SHRI KIKAR SINGH

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received the following wireless message, dated the 6th August, 1968 from the Superintendent of Police, Bhatinda :—

> "Shri Kikar Singh, Member, Lok Sabha, and resident of Haji Rattan, has been arrested *vide* D.D.R. No. 28, dated the 5th August, 1968 under Sections 107/151 Criminal Procedure Code."

HALF-AN-HOUR DISCUSSION.—*Contd.*
HOMES FOR FREEDOM FIGHTERS IN WEST BENGAL—*Contd.*

श्री रबि राय (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सुचेता कृपलानी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आध घंटे की चर्चा के जरिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के वीर सेनानियों के पुनर्वास का सवाल उठाया। जब मैं उन का भाषण सुन रहा था, तो मुझे इस बात पर शर्म महसूस हो रही थी कि सरकार ने स्वयं इस बारे में कोई कदम क्यों नहीं उठाया, जिस के कारण माननीय सदस्या को यह बहस उठाने की आवश्यकता पड़ी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग आप के नेतृत्व में सोवियत यूनियन गये थे। वहां के लेनिनग्राड शहर का हिटलर की नात्सी सेनाओं ने 900 दिन तक सीज किया था। उस शहर की रक्षा करते हुए लाखों की तादाद में जो वीर सेनानी मृत्यु को प्राप्त हुए, आप के नेतृत्व में हम लोग उन के कब्रिस्तान को देखने के लिये गये थे। उस को देख कर हम लोगों के मनों पर यह प्रभाव पड़ा कि सोवियत यूनियन की सरकार और जनता किस प्रकार अपने राष्ट्रीय युद्ध के वीर सेनानियों का सम्मान और आदर करती है। लेकिन हिन्दुस्तान के स्वतन्त्रता संग्राम में हमारे जिन क्रान्तिकारियों ने त्याग और कुर्बानियां कीं और वीर गति पाई, हमने कलकत्ता, बम्बई या लखनऊ आदि किसी भी स्थान पर उन का कोई स्मारक, या उन की स्मृति में कोई म्यूजियम नहीं बनाया।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज ही इस सदन में पार्लियामेंट के मेम्बरों को तन्ख्वाह, भत्ते और अन्य सुविधायें बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा गया है। सुरेन्द्र बाबू ने कहा कि मंत्रियों को जो तन्ख्वाह, भत्ता और आराम मिलता है, अब पार्लियामेंट के मैम्बरों को भी वही मिलेगा। हम को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग अपने वेतन, सुविधायें और शानो-शौकत को बढ़ाने के लिए तो प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में जिन क्रान्तिकारियों ने त्याग और कुर्बानियां कीं, उन के बारे में न तो हमें फिक्र है और न सरकार को फिक्र है।

इस लिए यह सारे सदन का सवाल है, सारे राष्ट्र का सवाल है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री, श्री शुक्ल इस सदन को यह आश्वासन दें कि हमारे जो क्रान्तिकारी बारह, पन्द्रह या बीस साल की कैद काट चुके हैं और जिनकी उम्र साठ साल से ज्यादा हो गई है उन के लिए पेन्शन और मैडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था की जायेगी। जिन लोगों ने देर से शादी की,